

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बायत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इवारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखिल शुदा	दस्तावेज की वापस करने की कैफियत
1	2	3	4
	वशिष्ठ ईनागी एडवोकेट गदम	200	

तादाद फीस दाखिल शुदा	इस रसीद के वापसी की तारीख व नाम उस शख्स का जो उसे खुद वापस करता है	दस्तावेज मय तारीख वापस उस फ्रीक के जो अपना मतलब हासिल करके रसीद वापस देता है	दस्तावेज की वापस करने की कैफियत
5	6	7	8
200		Shek MP	

तारीख 29 MAY 2023  
उप पंजीयक  
जिला-इन्दौर-1

दस्तावेज या नकल तारीख 29 MAY 2023 को तैयार मिलेगी।  
उप पंजीयक  
जिला-इन्दौर-1

MAHARAJA MADHYA PRADESH

CD 047456

9243

वशिष्ठ ईनागी  
एडवोकेट

29 MAY 2023



Bhamesh Shukla Khendelwal

उप पंजीयक  
जिला-इन्दौर-1

11/4/2011  
 श्री देवेन्द्र शर्मा पिता श्री रमेशचन्द्र जी शर्मा  
 सावित्री पति श्री भवानीशंकरजी खण्डेलवाल  
 सेठ जगन्नाथ की चाल

श्री भवानीशंकर पिता स्व.श्री छाजूराम खण्डेलवाल  
 सेठ जगन्नाथ की चाल

11741-51  
 16/3/12  
 15000X1 + 153071-73  
 (871330) (153127-30) + 500X1  
 (B458183)  
 100X2 = 22700  
 (32747980)

॥ श्री गणेशाय नमः ॥


50 पिकी धोविया

स्टाम्प ड्यूटी / शुल्क	16,200 / -	वि	वार्ड क्रमांक 53
नगर निगम ड्यूटी / शुल्क	3,240 / -	क्र	व्यवहार मूल्य रुपये 3,24,000 / - बाजार मूल्य रुपये 3,24,000 / -
पंचायत ड्यूटी / शुल्क	3,240 / -	य	प्रकोष्ठ क्रमांक 305, अतिशा अपार्टमेन्ट पैकी तृतीय मंजिल
अधिक ड्यूटी / शुल्क	20 / -	प	सेठ जगन्नाथ की चाल
कुल ड्यूटी शुल्क रुपये	22,700 / -	त्र	चितावद इन्दौर (म.प्र.)

खण्ड (1)

श्री देवेन्द्र शर्मा पिता श्री रमेशचन्द्र जी शर्मा  
 निवासी- 10, खातीपुरा (जेलरोड) इन्दौर (म.प्र.)  
 तर्फ आम मुख्त्यार  
 श्रीमती सावित्री पति श्री भवानीशंकरजी खण्डेलवाल  
 निवासी- 304, अतिशा अपार्टमेन्ट,  
 160-161, सेठ जगन्नाथ की चाल,  
 इन्दौर (म.प्र.)

9249  
 28.8.23



..... विक्रेतापक्ष

एवं

श्री भवानीशंकर खण्डेलवाल पिता स्व.श्री छाजूराम खण्डेलवाल  
 निवासी- 304, अतिशा अपार्टमेन्ट,  
 160-161, सेठ जगन्नाथ की चाल  
 इन्दौर (म.प्र.)

.....क्रेतापक्ष

(अविरत - 2 पर)

श्रीमती देवी- खण्डेलवाल  
 Bhaveni Shree Khendelwal

उप-पंजीयक  
 जिला-इन्दौर-1

( 2 )

उपरोक्त विक्रेतापक्ष यह विक्रय पत्र उपरोक्त क्रेतापक्ष के हित में निम्नानुसार लिख देते हैं कि:-

1. उपरोक्त विक्रेतापक्ष की मालकी कब्जे आधिपत्य के प्लाट नंबर 160 का भाग क्रमांक 4 एवं प्लाट नंबर 161/2 भाग क्रमांक 2 स्थित सेठ जगन्नाथ की चाल, चितावद रोड, इन्दौर म.प्र. के हैं । उक्त दोनो भागों की तल जमीन का कुल क्षेत्रफल 5478 वर्गफीट है । उक्त प्लाट नंबर 160 के भाग क्रमांक 4 को विक्रेतापक्ष ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक 1अ/1498 (छ) दिनांक 21.01.2002 के जरिये क्रय किया था, प्लाट नंबर 160/2 के भाग क्रमांक 2 को विक्रेतापक्ष ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक 1अ/1968 (छ) देकर दिनांक 19.03.2002 के जरिये क्रय किया था । उक्त दोनो विक्रयपत्र उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर में पंजीकृत किये हुवे हैं । उक्त दोनो भागों की संयुक्त चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	:	रोड है ।
पश्चिम में	:	ओपन लैंड है ।
उत्तर में	:	मकान नंबर 162 है ।
दक्षिण में	:	अन्य मकान है ।

उपरोक्त प्लाट नंबर 160 का भाग क्रमांक-4 एवं प्लाट नंबर 161/2 पैकी का भाग क्रमांक-2, सेठ जगन्नाथ की चाल, चितावद इन्दौर म.प्र. पर विक्रेतापक्ष ने एक बहुमंजिला भवन अतिशा अपार्टमेन्ट, का निर्माण किया है । उक्त निर्मित बहुमंजिला भवन पैकी तृतीय मंजिल के प्रकोष्ठ क्रमांक 305 का यह विक्रय है । जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 570 वर्गफीट है ।

(अविरत् - 3 पर)

श्रीमान् श्री- देवी- शंकरलाल  
Bhavani Sharm Khendabul.

उप-पंजीयक-  
जिला-इन्दौर-1

( 3 )

2. विक्रेता ने भवन बनाने बाबत, इन्दौर नगर पालिक निगम से अनुमति प्राप्त की होकर अनुमति अनुसार भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया है । भवन का मानचित्र स्वीकृत किया हुआ है । स्वीकृत नक्शा का दाखला क्रमांक 128 दिनांक 29.04.2002 का है ।

बिक्रीत प्रकोष्ठ का विवरण निम्नानुसार है :-

3. यह प्रकोष्ठ क्रमांक 305 जो कि प्लॉट नंबर 160 के भाग क्रमांक 4 एवं प्लॉट नंबर 161/2 के भाग क्रमांक 2, सेठ जगन्नाथ की चाल, चितावद रोड, इन्दौर म.प्र. पर निर्मित बहुमंजिला भवन अतिशा अपार्टमेन्ट पैकी तृतीय मंजिल पर स्थित है । जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 570 वर्गफीट (अर्थात् 52.97 वर्गमीटर) है, जिसका यह विक्रय है । इस प्रकोष्ठ की पार्टीशन वाल, फर्श व छत शामिल उपयोग की होकर इस विक्रय में छत के अधिकार सम्मिलित नहीं है । उक्त भवन आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है । बिक्रीत प्रकोष्ठ भी आवासीय उपयोग है ।

बिक्रीत प्रकोष्ठ की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक 302
पश्चिम में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक 304
उत्तर में	:	भवन का कॉमन पैसेज
दक्षिण में	:	भवन का एम.ओ.एस.

(अविरत् - 4 पर)

शहानुशी देवी - शहानुशी देवी

Bhawanu Shahu Khorakul.

उप पंजीयक  
जिला-इन्दौर-

( 4 )

4. उपरोक्त विवरण का प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सम्पूर्ण मालकी हक्क, स्वत्व एवं अधिकारो सहित कुल कीमत रूपये 3,24,000/- (अक्षरी रूपये तीन लाख चौबीस हजार मात्र) में विक्रय कर दिया होकर प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि मूल विक्रेता ने आप क्रेतापक्ष से पूर्व में सुविधानुसार प्राप्त कर ली है, जिनका मिलना विक्रेतापक्ष को स्वीकार है। इस विक्रय पत्र के पंजीयन के समय श्रीमान उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष रहा नहीं है।
5. विक्रयांतर्गत उक्त प्रकोष्ठ का मुर्तिमंत आधिपत्य (एकचल पजेशन) मौके पर साक्षीगण के समक्ष क्रेतापक्ष को प्रत्यक्ष रूप से सुपुर्द कर दिया गया है। कब्जा मिलना क्रेतापक्ष स्वीकार करते है।
6. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष द्वारा क्रेतापक्ष को विक्रय कर दिये जाने से अब क्रेतापक्ष सदर सम्पत्ति के पूर्ण स्वत्वधारी होकर मालिक हो गये है, अब सदर सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग क्रेतापक्ष अपनी स्वेच्छा अनुसार वंश-परंपरा अनुसार करते जाएंगे।
7. यह कि, सामुहिक उपयोग की जंगहों, पार्किंग, सदर भवन में आने-जाने का रास्ता, चढाव, मोटर पम्प के उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेतापक्ष को अन्य प्रकोष्ठ होल्डर्स के साथ रहेगा। क्रेतापक्ष इस हेतु आवश्यक मेन्टेनेन्स शुल्क प्रतिमाह बिल्डिंग सोसायटी को अदा करेंगे।

(अविरत् - 5 पर)

श्रीमान श्री देवी-शंकर लाल

Bhawan. Shree Khandeher

उप-पंजीयक  
जिला-इन्दौर-1

( 5 )

8. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के विक्रयपत्र का पंजीयन विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के हित में कर दिया होने से आज तारीख से क्रेतापक्ष सदर सम्पत्ति के स्वामी बन गये है ।

9. यह कि, क्रेतापक्ष को सदर अपार्टमेन्ट भवन के जमींदोज होने की दशा में सदर सम्पत्ति के एरिया के अनुपात में प्लॉट की भूमि का आनुपातिक हिस्सा पाने का अधिकार भी रहेगा । यह मालकी क्रेतापक्ष व अन्य समस्त ओनर्स की संयुक्त रूप से रहेगी ।

10. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ के सम्बंध में आज दिनांक से लगने वाले समस्त टैक्स, व्यय, इलेक्ट्रीक व्यय, मेंटनेन्स सोसायटी को देय डिपॉजिट राशि व मासिक आनुपातिक व्यय, आदि क्रेतापक्ष वहन करेंगे । आज दिनांक से पूर्व लगने वाले व्यय विक्रेतापक्ष वहन करेंगे ।

11. यह कि, उक्त प्रकोष्ठ विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के सिवाय अन्य किसी को दान, गिरवी, बक्षिस, बिक्री आदि द्वारा अंतरित नहीं की है तथा न ही इस पर किसी के कर्ज, जमानत, मेंटनेन्स, अटेचमेन्ट, डिक्री आदि का कोई भार है । सदर सम्पत्ति पूर्णतः भाररहित है, फिर भी यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक इत्यादि द्वारा सदर सम्पत्ति पर स्वामित्व बाबद अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे दावेदार का मन विक्रेता विक्रेतापक्ष द्वारा अपने हर्जे खर्चे से मनाया जावेगा इसमें क्रेतापक्ष को कोई नुकसानी नहीं लगने दी जावेगी ।

(अविरत् - 6 पर)

श्रीमती देवी - स्वामी लाल  
Bhawani Devi (Chandani)

4  
उप पंजीयक  
जिला-इन्दौर

( 6 )

12. यह कि, इस विक्रय में म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है । विक्रेता ने मं.प्र. प्रकोष्ठ अधिनियम 2000 की धारा 2 अंतर्गत घोषणा पत्र श्रीमान उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर में पु.क्र. 1-अ/60 (ग) देकर दिनांक 30.04.2002 को निष्पादित किया हुआ है ।

13. यह कि, उक्त सम्पत्ति पर क्रेतापक्ष अपने नाम से समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, निकायों, लीजदाता के यहां नामांतरण क्रेतापक्ष स्वयं के व्यय से करवा सकेगें, जिसमें विक्रेतापक्ष की उपस्थिति, बयान आदि की आवश्यकता होने पर विक्रेतापक्ष इस प्रकार का सहयोग बिना प्रतिफल के प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगें ।

14. यह कि, उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में श्री देवेन्द्र पिताश्री रमेशचन्द्रजी शर्मा निवासी- 10, खातीपुरा, जेलरोड, इन्दौर ने पंजीकृत आम मुखत्यार पत्र क्रमांक 4अ/1216 (12) दिनांक 23.03.2011 के जरिये श्रीमती सावित्री पति श्री भवानीशंकरजी खण्डेलवाल निवासी- 304, अतिशा अपार्टमेन्ट, 160-161, सेठ जगन्नाथ की चाल को अपना आम मुखत्यार नियुक्त किया है । सदर आम मुखत्यार पत्र आज दिनांक को भी प्रभावशील है ।

15. यह कि, इस विक्रय में पंजीयन अधिनियम की धारा 22 (क) का किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं होता है ।

16. यह कि, इस विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन में लगने वाले समस्त व्यय क्रेतापक्ष द्वारा वहन किये गए हैं ।

(अविरत - 7 पर)

श्री देवेन्द्र पिताश्री रमेशचन्द्रजी शर्मा

Blawan. Sharm Khondelwal

उप-पंजीयक  
जिला-इन्दौर

म  
सावित्री

(7)

अतः यह विक्रय-लेख विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के हित में, अपनी राजी-खुशी से, सोच-समझकर, स्वस्थचित्तावस्था में, बगैर किसी दबाव के, निम्नलिखित गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया सो सही ताकि सनद रहे व प्रकृत-जरूरत काम आवें।

इति इन्दौर,

दिनांक

गवाहदार

1. हस्ताक्षर [Signature]

नाम IASHISH KHANDELWAL

पिता B.S. KHANDELWAL

पिता 304 ATISHA APPT  
MEMAR ROAD

2. हस्ताक्षर [Signature]

नाम HAR KHANDELWAL

पिता B.S. KHANDELWAL

पता 304 ATISHA APPT  
MEMAR ROAD  
INDORE

हस्ताक्षर विक्रेतापक्ष

[Signature]  
श्रीमती देवी-खण्डेलवाल

(श्रीमती सावित्री खण्डेलवाल बहै. आ.मु.)

हस्ताक्षर क्रेतापक्ष

[Signature]  
Bhawani Shukh Khanadelwal

(भवानीशंकर खण्डेलवाल)

उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार इस विलेख का प्रारूप मैंने तैयार किया है. पक्षकारों, गवाहों की पहचान व संपत्ति तथा इस विक्रय व्यवहार से मेरा कोई संबंध नहीं है।

[Signature]  
गोपाल बंसल

(एडवोकेट)



उपपंजीयक  
[Signature]  
उपपंजीयक, इन्दौर

देवी-खण्डेलवाल

उपपंजीयक  
जिला-इन्दौर-1

1)  
+ 20X2  
23) (1-BA  
14834  
[Signature]  
[Signature]